/.

राजस्थान सरकार

निदेशालय स्थानीय निकाय, राज. जयपुर

दूरभाष सं. 0141–2222469, 2226760 फेक्स सं. 0141–2222403 ईमेल : वेबसाईट : www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक : एफ.55( )अभि. / सीई / डीएलबी / 2018 / सड़क मरम्मत / RUIRP-I / 908-1000 दिनांक : 09/01/19

आयुक्त / अधिशाषी अधिकारी,
नगर निगम / परिषद / पालिकायें,
समस्त राजस्थान।

विषय : मुख्यमंत्री बजट घोषणा के अन्तर्गत RUIRP Phase-1 के तहत क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत / सुदृढ़ीकरण के कार्यो के अंतिम बिल के भुगतान के सम्बन्ध में मार्गदर्शन बाबत।

प्रसंग : कार्यकारी निदेशक, RUDSICO के पत्रांक : 16568 दिनांक 19.12.2018 एवं आयुक्त, न.प. अलवर के पत्रांक : 2270–72 दिनांक 12.12.2018 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र द्वारा आयुक्त, नगर परिषद, अलवर ने नगर परिषद अलवर में मुख्यमंत्री बजट घोषणा के अन्तर्गत RUIRP Phase-I के तहत सड़कों की मरम्मत / सुदृढ़ीकरण के कार्यो का भुगतान अंतिम बिल मुख्य अभियन्ता स्तर से अनुमोदन पश्चात् किये जाने के सम्बन्ध में मार्गदर्शन चाहा है।

इस सम्बन्ध में लेख है कि मुख्यमंत्री बजट घोषणा के अंतर्गत RUIRP Phase-I के तहत नगरीय निकाय क्षेत्रों की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत / सुदृढ़ीकरण के कार्य कराने हेतु विभाग द्वारा जारी पत्रांक : एफ.55 ( )अभि. / सीई / डीएलबी / 2017 / सड़क निर्माण / 2846–3076 दिनांक 13.10.2017 के बिन्दु सं. 19 तथा स्वीकृति आदेश सं. : प.6 (ट)( )लेखा / डीएलबी / 2017 / सड़क निर्माण / 20677 दिनांक 8.11.2017 के बिन्दु सं. 9 के अनुसार कार्य की क्रियान्विति व बिलों के भुगतान के सम्बन्ध में पूर्व में ही निर्देश जारी किये जा चुके हैं कि "सम्बन्धित सक्षम तकनीकी अधिकारी द्वारा बिल अनुमोदित / पारित करने के उपरान्त संवेदकों को निर्माण / मरम्मत कार्यो के बिलों का भुगतान सम्बन्धित नगर निकाय द्वारा ऑनलाईन RTGS/PFMS के माध्यम से किया जावेगा।"

अतः इस सम्बन्ध में लेख है कि नगर निकाय के क्षेत्राधिकार / कार्यक्षेत्र में पदस्थापित सम्बन्धित तकनीकी अधिकारी यथा : अधीक्षण अभियन्ता / अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता / मुख्य अभियन्ता द्वारा उनके क्षेत्राधिकार में प्रदत्त तकनीकी शक्तियों के अनुसार कार्यो के बिलों (अंतिम बिल सहित) का अनुमोदन करने के उपरान्त ही सम्बन्धित नगर निकाय द्वारा भुगतान की कार्यवाही की जावे।

(पवन अरोड़ा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

D:\Budget 2017-18\letter.docx

क्रमांक : एफ.55( )अभि. / सीई / डीएलबी / 2018 / सड़क मरम्मत / RUIRP-I / 1001-1245 दिनांक : 09/01/19

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
1. कार्यकारी निदेशक, राजस्थान शहरी पेयजल, सीवरेज एवं आधारभूत विकास निगम लि. (RUDSICO), राज. जयपुर को उन के पत्रांक : 16568 दिनांक 19.12.2018 के क्रम में।
2. महापौर / सभापति / अध्यक्ष, नगर निगम / परिषद / पालिकायें, समस्त राजस्थान।
3. परियोजना निदेशक (इन्फ्रा.) / मुख्य अभियन्ता, रूड़सिकों, जयपुर।
4. मुख्य अभियन्ता / अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता / अधीक्षण अभियन्ता, समस्त नगर निगम, राजस्थान।
5. आयुक्त, नगर परिषद, अलवर को उनके पत्रांक : 2270-72 दिनांक 12.12.2018 के क्रम में।
6. संयुक्त निदेशक (सूचना तकनीक), निदेशालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड़ करने हेतु।
7. सुरक्षित पत्रावली।

9/1/19

(भूपेन्द्र माथुर)
मुख्य अभियन्ता

D:\Budget 2017-18\letter.docx